IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, September 2025
Impact Factor: 7.67

पर्यावरणीय अधिनियम और जलवायु परिवर्तन

(Environmental Laws and Climate Change)

डॉ. दिनेश प्रसाद

शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ (भारत)

प्रस्तावना

पिछले चार दशकों के दौरान पर्यावरणीय समस्याओं ने दुनिया में व्यापक वर्ग के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। भारत में पर्यावरण कानून काफी समृद्ध और विकसित है। भारतीय संविधान उन गिने-चुने संविधानों में से एक है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रस्ताव भी दिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में धारा 48 ए और 51 ए जी को जोड़ा गया है जो राज्यों और उसके समकक्षों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जोड़ता है देश का सर्वोच्च और मौलिक संविधान दुनिया के उन चंद संविधानों में से एक है जो पर्यावरण की समस्या को ध्यान में रखता है। भारतीय न्याय व्यवस्था प्रकृति में अर्द्ध-संधीय है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो अपने मूल ढांचे को बदले बिना समाज की जरूरत के हिसाब से खुद को आसानी से संशोधित्त कर लेता है।

जलवायु परिवर्तन पर नए कानून भारतीय संदर्भ में बिना किसी बाधा के आसानी से बनाए जा सकते हैं संविधान के पूर्वजों और निर्माता ने पहले ही उन मुद्दों को दूर कर लिया था जिनका हम आज सामना कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से पर्यावरण शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें इसके सभी पहलुओं को उल्लेख किया गया है लेकिन समय बीतने के साथ संविधान के संरक्षक न्यायपालिका ने अब पर्यावरण शब्द को डीपीएसपी और पर्यावरण की रक्षा के मौलिक अधिकारों के तहत प्रतिपादित किया है। पयार्वणीय अधिनियम की अवश्यकता के लिए निम्न कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हैः-

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, September 2025
Impact Factor: 7.67

1. प्रदूषण
   - भूमि प्रदूषण
   - वायु प्रदूषण
   - जल प्रदूषण
   - ध्वनि प्रदूषण
2. समुद्री स्तर का बढ़ना
3. ओजोन परत का कम होना
4. पर्यावरणीयक्षरण

जलवायु परिवर्तन पर नए कानून समय की मांग है लेकिन अगर हम जल्द ही इन्हें लागू नहीं करते हैं तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी और मानव जाति को अभूतपूर्व नुकसान हो सकता है जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय समाधान की आवश्यकता है।

भारत में जलवायु परिवर्तन की नीतियों ने मुख्य रूप से विकास और जलवायु के लिए परिणाम के बीच तालमेल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया था जिसमें उपभोक्ताओं और गैर जीवाश्म स्रोतों से अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करना 100 किलोवाट या उससे अधिक भार के लिए कार्यालय और आवासीय भवनों में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता सीवीसी का अनुप्रयोग हो और जहाज और वाहनों के लिए ऊर्जाखपत मनको का विनिर्देश शामिल है

3 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी द्वारा विचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को पारित किया यह यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो से कॉप 26 में घोषित जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की कार्य योजना पंचामृत (पांच अमृत तत्व) का अनुवाद था इसके अलावा दुनिया में उत्पन्न होने वाले कचरे का एक बड़ा हिस्सा औद्योगिक या खतरनाक कचरे से बना होता है खतरनाक कचरे का अनुच्छेद मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, September 2025
Impact Factor: 7.67

भारत में खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पर आवागमन नियम 2016 लागू है जो खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करते हैं और प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। विभिन्न प्रकार के कचरे को कवर करने वाला व्यापक दायरा कचरे को कम करने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, सख्त भंडारण और निपटान की आवश्यकता है उत्पादों के जीवन चक्र के अंत तक उनके उचित निपटान के लिए उत्पादों की जिम्मेदारी बढ़ाना अनौपचारिक क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी विकासशील पर्यावरण कानून के माध्यम से स्थिरता की दिशा में भारत के मार्ग की एक स्पष्ट तस्वीर उभर रही है। यह सब दृष्टिकोण में बदलाव और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास और सुसंगत बनाने की दिशा में नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संतुलन के लिए आगे के विकास विन्यामक परिवर्तन और प्रत्येक नागरिक में पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है फिर भी प्रत्येक नए कानून और प्रगतिशील संशोधनों के साथ भारत पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भविष्य के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है।

पर्यावरणीय कानून के माध्यम से जलवायु पर बहुत अधिक हद तक तथा पर्यावरण पर नियंत्रण पाया जा सकता है जो निम्नलिखित है:-

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में विशेष महत्व रखता है और भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारों को विशेष शक्ति प्रदान करता है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करना और उसे बेहतर बनाना, दूसरे पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और काम करना शमिल है।

जल प्रदुषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को कृषि, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के माध्यम से जल प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियममित किया गया था। यह अधिनियम जल की खपत पर दिए जाने वाले उपकर को भी नियंत्रित करता है।

भारत के मौजूदा वनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए **1980 का वन संरक्षण अधिनियम** बनाया गया था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, सभी सरकार की आरक्षित संपति बन गए। यह अधिनियम किसी भी आरक्षित वन को गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोंग किए जाने पर प्रतिपूरक उपाय भी प्रदान करता है। इस अधिनिमय के तहद जलावायु परिवर्तन में भी काफी मदद मिलती है।

वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 एक अभिनव अभिन्न कानून है जो राज्य को वायु प्रदूषण को के उत्सर्जन के लिए मानक के नियमित करने की अनुमति देता है। जिससे पर्यावरण संरक्षित रह सके। यह अधिनियम राज्यों को किसी भी कारखाने का निरीक्षण करने और

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, September 2025 Impact Factor: 7.67

किसी भी नियंत्रणउपकरण और विनिर्माण प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार देता है यह राज्य को वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी अनुमति देता है इस अधिनियम में उल्लेखित आवश्यकताओं को पूरा किए बिना कोई भी उद्योग संचालित नहीं हो सकता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 को राष्ट्रीय अधिकरण को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था इन अधिकरण की स्थापना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी इन अधिकरणों के पास ऐसे मामलों पर भी अधिकार क्षेत्र है जहां पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था यह सुनिश्चित करके कि उपभोक्ताओं को केवल ऊर्जा कुशल उपकरण की ही प्रदान किए जाएं और बिजली विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करके ऐसा किया जाता है।

भारत की सीमाओं के भीतर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन्य **जीव संरक्षण अधिनियम 2002** बनाया गया था इस अधिनियम के तीन मुख्य उद्देश्य हैं पहले वन्य जीवों के लिए एक समान कानून स्थापित करना दूसरा राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीवन अभयारण्य का एक नेटवर्क स्थापित करना तीसरा वन्य जीवों और उत्पादों के अवैध व्यापार को भी नियमित करना।

देश में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए **2002 का जैविक विविधता अधिनियम** बनाया गया था यह अधिनियम भारत को अपनी जैव विविधता के न्याय संगत पटवारी के उद्देश्य के एक कदम करीब लाने में मदद करता है साथ-साथ जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद करता है। भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष रूप से समर्पित कानून की बहुत अधिक आवश्यकता प्रतीत हो रही है देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोई विशेष कड़े कानून नहीं बनाए गए हैं। स्टॉक होम सम्मेलन के बाद अपने देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक व्यापक कानून का निर्माण किया गया था परंतु जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए विशिष्ट कानून की आवश्यकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुआयामी है और यह कई समस्याओं का कारण भी बन सकता है जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कानूनी क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, September 2025
Impact Factor: 7.67

वर्तमान समय में भारत के पास कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करता है आवश्यकता इस बात की है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जिस कानून की आवश्यकता है वह केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ही है जो अब तक का मूलभूत कानून है अब हमें 2024 में ऐसे विशिष्ट कानून की विशेष आवश्यकता है जो जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करें और दंड का प्रावधान सुनिश्चित करें।

जलवायु परिवर्तन कि दिशा में क्योटो-प्राटोकोल जो एक अंर्तराष्ट्रीय संधि है 16.02.2005 से प्रभावित है इसके अंतर्गत 2012 तक 5 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस (GHS) का उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य पूरा किया गया, जोकि 1990 के स्तर कि तुलना से किया गया। 8 दिसंबर 2012 को दोहा कतर में दोहा संशोधन क्योटो प्रोटोकोल के लिए इसकी प्रतिबंधता अवधि को अपनाया गया जो 2013 से 2020 तक चली इस अवधि में 1990 कि तुलना में 18 प्रतिशत कमी की प्रतिबंधता बताई गयी। क्योटो प्रोटोकोल तीन तरीको से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का एक अतिरिक्त साधन भी प्रदान करता है।

- अंतराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार
- स्वच्छ विकास तंत्र
- सयुंक्त कार्यान्वयन

क्योटो प्रोटोकोल जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है।

संदर्भ :-

1. एक्सस्टिन डी., कुंजेल वी., शेफर एल. (2021). वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक (2021). जर्मनवॉच।
2. बेला पोल. (2022, 27 जून). रूफटॉप सोलर: भारत की अक्षय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का गायब हिस्सा। द थर्ड पोल।
3. बायर्डन एस., राजन एस. (2021) जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का मूल्यांकन। सेंटर फॉर डेवलपमेंट फाइनेंस (CDF), IFMR, और मानविकी और सामाजिक विज्ञान, IIT मद्रास।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, September 2025
Impact Factor: 7.67

4. जैन एस. (2021). पाँच तरीके जिनसे भारत अपने महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा अभियान को बढ़ावा दे सकता है। आउटलुक।
https://www.outlookindia.com/website/story/business&news&five&ways&how&india&can&fuel&its&ambitious&renewable&energy&drive/403252
5. खुल्ला एस., पुरुखायस्थ डी., जैन एस. (2022, 10 अगस्त). भारत में 2022 में ग्रीन फाइनेंस का परिदृश्य। जलवायु नीति पहल।
6. कुमार पी. (2022, अगस्त 10). ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022: यह सब उद्योगों के लिए लक्ष्य तय निरंतर करता है। डाउन टू अर्थ।
https://www.downtoearthorg.in/blog/energy/energy&conservation&amendment&bill&2022&it&all&boils&down&to&targets&for&industries&84252
7. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
8. नरसिम्हन ई., गोपालकृष्ण टी., गैलाघर के. (2021, 11 नवम्बर). डीप डीकार्बनाइजेशन के लिए भारत के नीति मार्ग। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
https://www.orfonlineorg.in/expert&spea/indias&policy&pathways&for&deep&decarbonisation/
9. पांडे के. (2022, 2 जून). आंकड़ों में भारत के पर्यावरण की स्थिति: भारत ने 2022 में 16 राज्यों में 280 हीट वेव दिन दर्ज किए, जो दशक में सबसे ज्यादा है। डाउन टू अर्थ।
https://www-downtoearth-org
in/news/climate&change/state&of&india&s&environment&in&figures&india&recorded&280&heat&wave&days&across&16&states&in&2022&most&in&decade&83131
10. पिसियारिल्लो ए., कोलेनब्रांडर एस., बजाज ए., रॉय आर. (2021) भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत - भारत के सामने आने वाले जलवायु-संबंधी जोखिमों और उनकी आर्थिक और सामाजिक लागतों की समीक्षा। ओईडीआई साहित्य समीक्षा।
International encyclopedia of Ecology and environment : IIEE, New Delhi Vol. 6 page-1-2, 127